डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0)चौमूँ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–07 / 2025

उनवान

1. मदनलाल पुत्र दुर्गासहाय
2. बाबूलाल पुत्र दुर्गासहाय

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकोजू, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र स्व0 गिरधारी
2. नरसी उर्फ नृसिंह पुत्र स्व0 गिरधारी
3. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 गिरधारी
4. शंकरलाल पुत्र स्व0 गिरधारी
5. राधेश्याम पुत्र स्व0 गिरधारी
6. रामप्रताप पुत्र बदरी
7. रामस्वरूप पुत्र बदरी
8. जयनारायण पुत्र बदरी
9. झाबर पुत्र बदरी
10. उमराव पुत्र रामेश्वर
11. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर
12. कैलाश पुत्र रामेश्वर
13. माना देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
14. लिछमा देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
15. मीरा देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
16. हीरा पुत्र दुर्गाप्रसाद
17. गीता पुत्री दुर्गाप्रसाद
18. सजना पत्नी कानाराम
19. प्रेम देवी पुत्री कानाराम
20. सन्तोष देवी पुत्री कानाराम
21. सुनीता देवी पुत्री कानाराम
22. अनिता पुत्री कानाराम
23. सीमा पुत्री कानाराम
24. भगवान सहाय पुत्र कानाराम
25. राजेश पुत्र कानाराम

    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
26. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
27. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

28. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

29. एस0बी0बी0जे0 बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राजात एंव स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–07 / 2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि हाल खाता संख्या 120 के आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 / 2060 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 / 2061 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0. 12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 627 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0. 65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 658 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664 रकबा 0. 38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 666 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.32 हैक्टेयर, कुल किता 28 का कुल रकबा 8.27 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.06 हैक्टेयर, कुल किता 04 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नांगल कोजू पटवार हल्का नांगल कोजू, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के हिस्से 1 / 4 भाग का उक्त प्रतिवादीगण के पिता गिरधारी पुत्र श्योनारायण जाति अहीर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग के दिनांक 19.12.2005 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 25 के पिता श्री दुर्गा पुत्र श्योनारायण जाति अहीर के हक में जरिये रजिस्ट्रर्ड हक त्याग (प्रदर्श 2) किये जाने के मुताबिक घोषणा की जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। प्रदर्श 2 रजिस्ट्रर्ड हक त्याग डिक्री का जुज रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हो।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत........

ओहदा..........

मु0सं0–07 / 2025
उनवान–मदनलाल बनाम मोहनलाल वगै0
निर्णय दिनांक: 08.10.2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

(signature)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–07 / 2025

उनवान

1. मदनलाल पुत्र दुर्गासहाय
2. बाबूलाल पुत्र दुर्गासहाय

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकोजू, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र स्व0 गिरधारी
2. नरसी उर्फ नृसिंह पुत्र स्व0 गिरधारी
3. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 गिरधारी
4. शंकरलाल पुत्र स्व0 गिरधारी
5. राधेश्याम पुत्र स्व0 गिरधारी
6. रामप्रताप पुत्र बदरी
7. रामस्वरूप पुत्र बदरी
8. जयनारायण पुत्र बदरी
9. झाबर पुत्र बदरी
10. उमराव पुत्र रामेश्वर
11. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर
12. कैलाश पुत्र रामेश्वर
13. माना देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
14. लिछमा देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
15. मीरा देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
16. हीरा पुत्र दुर्गाप्रसाद
17. गीता पुत्री दुर्गाप्रसाद
18. सजना पत्नी कानाराम
19. प्रेम देवी पुत्री कानाराम
20. सन्तोष देवी पुत्री कानाराम
21. सुनीता देवी पुत्री कानाराम
22. अनिता पुत्री कानाराम
23. सीमा पुत्री कानाराम
24. भगवान सहाय पुत्र कानाराम
25. राजेश पुत्र कानाराम

    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
26. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।
27. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूॅं, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।
28. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।
29. एस0बी0बी0जे0 बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेजरोली, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राजात एंव स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–08.10.2025

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम नांगल कोजू पटवार हल्का नांगल कोजू, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में विवादग्रस्त आराजी भूमि हाल खाता संख्या 120 के आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 / 2060 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 / 2061 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 627 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0. 39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 658 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665 रकबा 0. 03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 666 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.32 हैक्टेयर, कुल किता 28 का कुल रकबा 8.27 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.06 हैक्टेयर, कुल किता 04 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि ही उक्त वाद पत्र में विवादित भूमि है। उक्त विवादित आराजी भूमि का 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता गिरधारी पिता श्योनारायण, जाति अहीर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त हिस्सा 1/4 भाग की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम से दर्ज है तथ शेष हिस्से की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 17 के पिता व प्रतिवादी संख्या 18 के ससुर प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 25 का वादीगण के पिता दुर्गा जिनका स्वर्गवास दिनांक 30.07.2001 हो गया था के नाम से तथा शेष खातेदारी 6 लगायत 12 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त विवादित आराजीयात में निहित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/4 भाग का हक त्याग प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता गिरधारी पुत्र श्योनारायण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के सहमति से जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 19.12.2005 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 17 के पिता, 18 के ससुर व 19 ता 25 के दादा के हक में किया गया था जो हक त्याग पत्र श्रीमान उपपंजीयक महोदय चौमूँ के समक्ष दिनांक 19.12.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 199 में पृष्ठ संख्या 186 क्रम संख्या 2005002597 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 578 के पृष्ठ संख्या 218 से 223 पर चस्पा किया जाकर दर्ज रजिस्टर्ड किया हुआ है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 17 के पिता प्रतिवादी संख्या 18 के

Scanned with OKEN Scanner

ससुर व प्रतिवादीगण संख्या 19 लगयात 25 के दादा को दिनांक 19.12.2005 के हक त्याग कर दिया गया था।

उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में निहित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 17 के पिता प्रतिवादी संख्या 18 के ससुर व प्रतिवादीगण संख्या 19 लगयात 25 के दादा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अपने पक्ष में करवाये जाने के बाद से मौके पर काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था तथा वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 25 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का नामान्तकरण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 25 के हक में खुलवाने हेतु वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 26 से निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 26 सदैव ही आश्वासन देता रहा कि नामान्तकरण आपके पक्ष में खोल देगे व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 भी नामान्तकरण वादीगण के हक में खुलवाने का आश्वासन देते रहें। दिनांक 20.07.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 अपने साथ अन्य अपरिचित व्यक्तियों को लेकर आये तथा पूर्व में किये गये हक त्याग दिनांक 19.12.2005 की भूमि जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है, को अपने हक अधिकारों से बाहर जाकर दीगर व्यक्ति को बैचान के उदेश्य से दिखाने लगे, जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 से इसका कारण पूछा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा वादीगण को धमकी दी गई कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम से दर्ज है जिसे हमारे द्वारा बिना किसी कब्जे के अवैध एवं नाजायज प्रतिफल प्राप्त कर अन्य के हित व पक्ष में बैचान हस्तान्तरण कर देगें जिसका की हक अधिकार कतई प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 को प्राप्त नहीं है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की उक्त धमकी की वजह से वादी को उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी आया है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 सालिम डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के हिस्से 1/4 भाग जिसका की वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण 13 लगायत 17 के पिता, प्रतिवादीगण संख्या 18 के ससुर व प्रतिवादीगण संख्या 19 लगायत 25 के दादा को प्रतिवादीगण के पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग के दिनांक 19.12.2005 को कर दिया था जिसका वादीगण उपयोग उपभोग कर रहे है जिसकी घोषणा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 25 के हक में की जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के स्थान पर अंकन किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 26 को आदेशित किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत कायम रखें।

पत्रावली पेश हुई। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 29 को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस प्रेषित किये गये, जिनकी तामील होने के बावजूद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 29 अनुपस्थित हैं। अतः प्रतिवादीगण सं0 1 ता 29 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी को सुना गय। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी सांक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी खाता संख्या 120 ग्राम नांगलकोजू, प्रदर्श 2 त्याग पत्र, प्रदर्श 3 नामान्तकरण, प्रदर्श 4 पेश किये तथा बयान गवाह बाबूलाल पुत्र दुर्गासहाय का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के हिस्से 1/4 भाग जिसका की उक्त प्रतिवादीगण के पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग के दिनांक 19.12.2005 द्वारा वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण 13

लगायत 17 के पिता, प्रतिवादीगण संख्या 18 के ससुर व प्रतिवादीगण संख्या 19 लगायत 25 के दादा को को कर दिया था जिसका वादीगण एवं उक्त प्रतिवादीगण उपयोग उपभोग कर रहे है जिसकी घोषणा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 25 के हक में की जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के स्थान पर अंकन किया जावें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। है। विवादित भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता गिरधारी पुत्र श्योनारायण जाति अहीर ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 25 के पिता श्री दुर्गा पुत्र श्योनारायण जाति अहीर को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श 2) के हक त्याग करने एवं नियमानुसार ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति को कानूनी अनभिज्ञता के चलते उक्त हक त्याग का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में अमल नही होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर में विवादित भूमि हाल खाता संख्या 120 के आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256/2060 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297/2061 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 627 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0. 39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 658 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665 रकबा 0. 03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 666 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.32 हैक्टेयर, कुल किता 28 का कुल रकबा 8.27 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.06 हैक्टेयर, कुल किता 04 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नांगल कोजू पटवार हल्का नांगल कोजू, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के हिस्से 1/4 भाग का उक्त प्रतिवादीगण के पिता गिरधारी पुत्र श्योनारायण जाति अहीर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग के दिनांक 19.12.2005 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 25 के पिता श्री दुर्गा पुत्र श्योनारायण जाति अहीर के हक में जरिये रजिस्ट्रर्ड हक त्याग (प्रदर्श 2) किये जाने के मुताबिक घोषणा की जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। प्रदर्श 2 रजिस्ट्रर्ड हक त्याग डिक्री का जुज रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा०ट्रै० / मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner